कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास योजनायें, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण भवन)

क्रमांक भू०अ०अ०/न०वि०यो०/91/....... दिनांक ....

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम किरनावाला तहसील जयपुर (पृथ्वीराज नगर योजना) हेतु भूमि अवाप्ति का अवार्ड पारित करने बाबत।

मुकदमा नम्बर

1. 352/88
2. 361/88

- :अवार्ड :-

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि को अवाप्ति हेतु राज्य सरकार नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 को केन्द्रीय अधिनियम संख्यां 1) को धारा 4(1) के तहत क्रमांक प-6/15/नविआ/11/87 दिनांक 6-1-1988 जारी जिसका राजस्थान राज पत्र में दिनांक 7-7-88 को प्रकाशन कराया गया।

2. भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5 अ की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का [illegible] प्रकाशन पत्र क्रमांक प-6/15/नविआ/3/87 दिनांक 28-7-89 का प्रकाशन राजस्थान राज पत्र के भाग 6 (क) में दिनांक 31-8-1989 को हुआ।

3. राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का राज पत्र प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम किरनावाला तहसील जयपुर में अवाप्ति अधीन भूमि की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	मुकदमा नं.	खा.नं.	अवाप्ति अधीन भूमि बीघा-बिस्वा	खातेदार/काश्तकार का नाम
1	2	3	4	5
1.	352/88	53	19-06	मैसर्स मयफल टी स्टेट लि० 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता 1
		93/1	12-04	मैसर्स गंगा मार्टी टी एवं एग्रो इन्डस्ट्रीज लि० 23/24 राधा बाजार कलकत्ता
		93/2/2	14-06	
		94	25-10	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

1.	2.	3.	4.	5.
		93/2 93/2/3	13-02	अमनचंद पु. ईशानचंद मुकर्जी कोम बंगाली ब्रह्मण सा. देह जयपुर
		93/2/1	03-00	कदीम खातेदार
		93/3 94	24-08	मैसर्स गिल्लीधारी टी.कम्पनी लिमिटेड 23/44 राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता ।
2.	361/88	98	24-13	लल्लूराम पु. भूरा 1/2 बालाराम पु. भगवाराम, रमेश 16 वर्ष, बाबूलाल 4 वर्ष नाबालिक संरक्षक माता रामप्यारी बेवा मंगलराम जाट सा. देह
		98/128	13-13	चंदा पु. बिरधा जाति जाट सा. देह
		98/129/2	00-10	
		98/129/1	05-01	महकमा पी.डब्ल्यू.डी.
		98/129/3	01-10	दिपदेश बगड़िया पु. बनवारी लाल बगड़िया सा. गोविन्द निकेतन न.डी. 20 अशोक मार्ग, "सी" स्कीम जयपुर ।

मुकदमा नम्बर 352/88 खसरा नम्बर 53, 93/1, 93/2/2, 94, 93/2 -93/2/3, 93/2/1, 93/3 -94 :.

धारा- 6 के गजटनोटिफिकेशन में ग्राम किशनावाला, तहसील जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 53, मैसर्स मजवत टी, स्टेट लि, 23/24, राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता - 7, खसरा नम्बर 93/1, 93/2/2-94 मैसर्स रंगामाटी टी, एण्ड इण्डस्ट्रीज "सी" 23/24, राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता - 7, खसरा नम्बर 92/2, 93/2/3, 93/2/1 अमनचंद पुत्र इशानचंद मुकर्जी कोम बंगाली ब्राह्मण सा. देह जयपुर, कदीम खातेदार, खसरा नम्बर 93/3-94, मैसर्स गिल्लीधारी टी कम्पनी लिमिटेड 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता -7 के नामखातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिसेज दिनांक 1.12.90 को खातेदारान/हितदारान को जारी किये गये । तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के चौकीदारान को नोटिस तामिल कराये गये । दिनांक 26.4.91 को अमनचंद मुकर्जी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर दो माह का समय देने की मांग की है अन्य दावेदारान /खातेदारान के उपस्थित नहीं होने पर पुनः दिनांक 7.3.91 को रजिस्टर्ड ए०डी० व तामिल कुनिन्दा के जरिए धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार नोटिस लेने नहीं लेने पर दो गवाहों के समक्ष चस्पा तामिल कराये गये । रजिस्टर्ड ए० डी० डाकघर से तामिल की रसीदें प्राप्त हो गई है । इसके उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक दिनांक 11.6.91 को धारा 9 व 10 के नोटिसेज दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराया गया । दिनांक 12.6.91 को श्री पदमचंद शाह एडवोकेट उपस्थित हुये मजवत टी, कम्पनी लि, व गिल्लीधारी टी, कम्पनी की ओर से वकालतनामा व कलम पेश किया गया तथा रंगामाटी टी. कम्पनी

-----3/पर-----

अवाप्ति अधिकारी
विकास योजनाएं
जयपुर

की ओर से वकालातनामा पेश कर क्लेम पेश करने के लिये समय चाहा। समय दिये जाने पर वकील प्रार्थी श्री पुनमचंद शाह द्वारा दिनांक 17.6.91 को रंगामाटी टी एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से क्लेम पेश किया। अमरचंद पुत्र ईशानचंद बंगाली प्राइमस ना. देह जयपुर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुये। इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये।

मैसर्स मकधता टी एस्टेट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय 23/24 राधाबाजार, स्ट्रीट कलकत्ता जरिये कॉन्स्टीट्यूटेड पावर ऑफ अटार्नी होल्डर जी.एल.पाटोदिया पुत्र श्री रामनिवास पाटोदिया ने जरिये पुनमचंद शाह एडवोकेट के द्वारा आपत्तियां एवं क्लेम निम्न प्रकार प्रस्तुत किया:--------

(क) ग्राम खिआनावाला, तहसील जयपुर, जयपुर सिरसी रोड पर भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा तीन फसली, समतल, उर्वरकों से भरपूर चार दीवारी कच्ची ढोलियों एवं पट्टियों की बनी हुई है कि जिसमें अण्डर ग्राउण्ड पैनल्स, हौज, पाउण्डी, होदी है तथा आधुनिक सिंचाई के साधन स्प्रिंकलर पाईप लाईन्स आदि से पूर्ण सुसज्जित है। इस भूमि की माप 58382.50 वर्ग गज होती है। इस भूमि का 40 प्रतिशत टाउन प्लानिंग के स्वीकृत माप दण्डों की परिसीमा में भूमि में 23353 वर्ग गज कम कर देने पर शेष बचे भू-खण्डों की उपयोगिता की भूमि अर्थात 35029.50 वर्ग गज भूमि दर 500/- रुपया से आंकलित करने पर कन्वर्जन व डवलपमेंट की राशि 100/- रु० प्रति वर्ग गज कम कर देने पर 400/- रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा बाजार दर के अनुसार कम से कम ------ 1,40,11,600=00

(ख) भूमि पर स्थित पक्का हुआ खिंचा घेरा 9 फीट मय आसारों के सीमेन्ट एवं कंक्रीट का लोहे के साथ बंधा हुआ आसार की मोटाई 1.10 फीट तथा इसके पश्चात बोरिंग 200 फीट मय बिजली फिटिंग 7-½- हार्सपावर व पम्प सेट आदि का मुआवजा मुताबिक तखमीना बी. एस. आर. एवं वाटर रिसोर्स कारपोरेशन------ 1,50,000=00

(ग) भूमि पर स्थित कमरा आवासीय 15x20 फुट 10,000=00

(घ) भूमि पर स्थित हौज, पाउण्डी, होदी नग 10 (दस) अण्डर ग्राउण्ड पाईप लाईन्स आदि 25,000=00

(ङ) भूमि पर स्थित चार दीवारी ढोला व एक ओर पट्टियों का ढोला मय ढोले पर स्थित कूंटे नग 1000 (एक हजार) 20,000=00

(च) भूमि पर स्थित पेड़-पौधे :-------

(1) सफेदा उम्र 6 वर्ष ऊंचाई 30 से 40 फुट तीन हजार, जिन्हें प्रथम फसल के रूप में तुरन्त कटाई योग्य है, प्रतिवृक्ष नेट मूल्य 200/- रुपये से 6,00,000=00

[बी] आंवला वृक्ष उम्र 4 वर्ष से अधिक 600 वृक्ष प्रति वृक्ष नेट आय 100/- रूपये से	60,000=00
[सी] सेतवा 800 वृक्ष उम्र 6 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय 50/- रूपया से	40,000=00
[डी] सुबाबुल 600 वृक्ष जिन्हें नेशनल एग्रीकलचरल एण्ड साईटिफिक रिसर्चफाउण्डेशन की तकनीकी रूप से उम्र चार से पांच वर्ष प्रति वर्ष 150/- से	90,000=00
[इ] जाजोबा वृक्ष 600 प्रति वृक्ष 50/- रूपये से	30,000=00
[ई] माल्टा 50 वृक्ष उम्र 4 वर्ष नेट आय प्रति वृक्ष 100/- से कैपीटलाईज वेल्यू 10 वर्षों के हिसाब से प्रति वृक्ष 1,000/- रूपये से	50,000=00
[एफ] आम 60 वृक्ष उम्र 5 वर्ष नेट आय अनुमानित 100/- रू. प्रति वृक्ष से कैपीटलाईज वेल्यू 1000/-रू. की दर से	60,000=00
[जी] अमरूद 300 वृक्ष उम्र लगभग छः से सात वर्ष प्रति वृक्ष से नेट आय प्रति वर्ष 100/-रू. से कैपीटलाईज वेल्यू 8 वर्षों की 800/- रूपये की दर से	2,24,000=00
[एच] नीबू 200 वृक्ष उम्र लगभग छः से सात वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय 80/=रू. से कैपीटलाईज वेल्यू 10 वर्षों की 800/=रूपये की दर से	1,60,000=00
[आई] गुलाब के पौध प्रति पौध उम्र लगभग चार से पांच वर्ष संख्या 3000/-पूर्ति पौध वेल्यू 10 रूपये की दर से	30,000=00
[जे] खेजड़ी कीकर वृक्ष 300 प्रति वृक्ष से लूम पातड़ों की प्रति वर्ष आय 100/-रू. औसतन वृक्षों की उम्र 10 वर्ष लगभग प्रत्येकवृक्ष में औसतन 50 से 60 मन प्रति वृक्ष 200/- रू. की दर से	60,000=00
[के] अड्डू वृक्ष 50 प्रति वृक्ष 2 फसलेा में पत्तों की बिक्री से नेट आय 100/-रूपये से 10 वर्षों की कैपीटलाईज वेल्यू 1000/- रूपये की दर से	50,000=00
कुल योग:	1,56,86,600=00

[अक्षरे एक करोड छप्पन लाख छीयासी हजार छः सो रूपये मात्र]

उक्त राशि पर दिनांक 7-7-88 से अवार्ड के दिवस तक 12./. प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजा राशि अन्तर्गत धारा 23[1] कैपीटल"ए" , उक्त मुआवजा राशि 30./. प्रतिशत की दर से अनिवार्य अवाप्ति चार्ज अन्तर्गत धारा 23 [2] एवं अवार्ड के दिवस से प्रथम एक वर्ष की अवधि पर 9./. प्रतिशत की दर से ब्याज व इसके पश्चात अदायगी के दिवस तक 15./. प्रतिशत की दर से ब्याज धारा 34 [चौतीस] के अन्तर्गत दिलाये जाने की मांग की है ।

गिल्ली धारी टी कम्पनी लिमिटेड , पंजीकृत कार्यालय 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट , कलकत्ता -7 जरिये कान्सटिट्यूटेड पॉवर आफ अटार्नी होल्डर जी.एल. पाटोदिया पुत्र श्री रामनिवास पाटोदिया की ओर से श्री पुनचन्द शाह एडवोकेट उपस्थित हुए और क्लेम आपत्तियां व क्लेम निम्न प्रकार पेश किये :-

-: विगत मुआवजा :-

5. 1. ग्राम विशनावाला तहसील जयपुर, जयपुर सिरसी रोड पर भूमि 93/3 रकबा 24 बिघा 8 बिस्वा तीन फसली समतल, उर्वरको से युक्त, चार दीवारी कच्ची डोलियों से घिरी हुई है। कि जिसमें अण्डर ग्राउण्ड धैनल्स, होज पायण्डी, होदियां है, तथा आधुनिक निक टाईप के साधन स्प्रेन्कुलर पाईप लाईन्स आदि से सुसज्जित है। इस भूमि की माप 73810 वर्ग गज होती है। इस भूमि का 40./. टाउन प्लानिंग के स्वीकृत मापदण्डों की परिसीमा में भूमि मे से 29524 वर्ग गज कम करने देने पर शेष बची 44286 वर्ग गज भूखण्डों की उपयोगिता की भूमि दर 500/- रुपये प्रति वर्ग गज से आंकलन करने पर कन्वर्सन व डवलपमेन्ट की राशि 100प्रतिवर्ग गज कम करवेनेपर दर 400 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से मुआवजा बाजार दर के अनुसार कम से कम 1,77,14,400/-

2. भूमि पर स्थित पक्का कुआ जिसका घेरा 8.5 फीट मय आसरों के सीमेन्ट का लोके के घेरों व श्रीसरियों से युक्त आसान की मोटाई 9इन्च, 6इन्च व कोठी की नाल 115 फुट तथा इसके पश्चात बोरिंग 200 फुट 6 ईन्च मय बिजली फिटिंग 7.5 अश्व शक्ति व पम्प सेट आदि का मुआवजा मुताबिक बी.एस.आर एवं वाटर रिर्सोस कार्पोरेशन 1,5 0, 000,.00

3. भूमि पर स्थित आवासी मकान 100 एक सौ वर्ग गज 10,000/-

4. भूमि पर स्थित होज, धोरे, पायण्डी आदि 20, 000/-

5. भूमि की चार दीवारी का डोला 6{छ} फुट गुणित 4 फुगुणित 2500 फुट व उस पर लेगे हुये 1000 से अधिक हुवें 25,000/-

6. भूमि पर स्थित पेडों, वृक्षों व पोध्यों का विवरण :-

{ए} सफेदा 7000 उम्र 6 वर्ष उचाई 17 से 25 फीट औसतन जिसकी प्रथम फसल कटाई कभी भी की जा सकती है नेट वेल्यु 200/- रुपये से 1,40,000/-

{बी} आंवला 900 उम्र 5 वर्ष अधिक प्रतिवृक्ष नेट आय 50/- रुपये से कैपीटलाईज वेल्यू 5000/- रुपये प्रति वृक्ष होती है, इस प्रकार कम से कम 100रुपये से 90000/-

{सी} सेवगा 110 वृक्ष उम्र 6 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय प्रतिफल 50/- रुपये से55,000/=

{डी} सुबाबूल नग 800 जिन्हें एग्रीकल्चरल एण्ड साईन्टिफिक रिसेच फाउण्डेशन की तकनिकी राय से उम्र 4 से 5 वर्ष प्रतिवृक्ष प्रति वृक्ष 150 रुपये से 1,20,000/-

{ई} जाजोबा 600 वृक्ष प्रति वृक्ष 50 रुपये से जो नेशनल एएसआर फाउन्डेशन की राय पर लगाये गये हैं। 30,000/-

{एफ} माल्टा 60 वृक्ष उम्र 4 से 6 वर्ष नेट आय प्रति वृक्ष 100 रुपये केपीटलाइज वेल्यू 10 वर्षों के हिसाब से 1000/- रुपये प्रति वृक्ष से 60,000/-

{जी} आम 100 वृक्ष उम 5 वर्ष नेट आय अनुमानित 100 से प्रति वृक्ष से केपीटलाइज वेल्यू 1000 /- रुपये की दर से 1,00,000/-

{एच} अमरुद 400 वृक्ष उम्र 6 से 7 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय 100/- रुपये से केपीट लाईज वेल्यू 800/-- रुपये की दर से 3,20,000/-

{आई} नीबू 100 वृक्ष उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय 80/- रुपये से केपीटलाईज वृल्यू 10 वर्षों की 800/- रुपये की दर से 80,000/- रुपये

{जे} गुलाब के पोधे 400 प्रति पोधा 10 रुपये से 4 वर्ष से लगे हुए 40,000/-

{के} खेजडा व कीकर वृक्ष 250 वृक्ष प्रति वृक्ष से लूम, पातडो की आय 100/- रुपये औसतन उम्र 10 वर्ष प्रत्येक वृक्ष से औसतन 50 से 60 मन जलाउ लकडी सम्भाव है। मुआवजा राशि 200/- रुपये की दर से 50,000/-

{एल} अरडू वृक्ष 700 प्रति वृक्ष 2 फसलो के पत्तों की बिक्री से नेट आय 100/- रुपये से 10 वर्ष की केपीटलाईज वेल्यू 1000/- रुपये विशेषकर इस पेड की लकडी खिलोने, हीरा घिसाई, जूतो के सोल के आदि की उपयोग की है। 7,00000/--

कुल योग :- 1,97,04,400.00

{ अठारे एक करोड सत्तानवें लाख चार हजार चार सौ रुपये मात्र }

उक्त राशि पर दिनांक 7-7-88 से अवार्ड के दिवस तक 12./. प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजा अन्तर्गत धारा 23/1/केपी टल ए, उक्त मुआवजा राशि 20./. की दर से अनिवार्य अवाप्ति चार्ज अन्तर्गत धारा 23{2} एवं अवार्ड के दिवस के प्रथम एक वर्ष की अवधि पर 9./. दर से ब्याज व इसके पश्चात अदायगी के दिवस तक 15./. की दर से ब्याज धारा 34{चोतीस} के अन्तर्गत दिलवाये जाने की मांग की है।

श्रीमा रंगा भाटी टी एण्ड इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये कान्सटिट्यूटेड पावॅर आफ अटार्नी होल्डर जी.एल. पाटोदिया पुत्र श्री रामनिवास पाटोदिया ने जरिये श्री पुनमचन्द शाह एडवोकेट ने दिनांक 17-6-91 को आपत्तियाँ एवं क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया है :-

-: विगत मुआवजा :-

1. ग्राम बिशनावाला तहसील जयपुर सिरसी रोड पर भूमि खसरा नम्बर 93/2/2/94 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 93/1 रकबा 12 बिघा 4 बिस्वा कुल रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा तीन फसली, समतल उर्वरकों से भरपूर चार दीवारी कच्ची डोलियों की पांच फुट ऊंचाई के साथ है, जिसमें अण्डर गाउण्ड पैनल, होज, पावण्डी, होदी आदि हैं तथा आधुनिक सिंचाई के साधन स्प्रेन्कूलर पाईप सत लाईनों आदि से सुसज्जित हैं। इस भूमि की माप 80162 80162.50 वर्ग गज के समकक्ष हैं। इस भूमि का 40./. टाउन प्लानिंग के स्वीकृत माप दण्डों की परिसीमा में भूमि 32065 वर्ग गज कम कर देने पर शेष बची भूमि की उपयोगिता की भूमि अर्थात 48085.50 वर्ग गज भूमि दर 500/- रुपये से आंकलन करने पर कन्वर्शन व डवलपमेण्ट की राशि 100/- रुपये प्रति वर्ग गज कम कर देने दर 400/- रुपया प्रति वर्ग के हिसाब से मुआवजा बाजार दर के अनुसार कम से कम 1,92,39,000/-

2. भूमि पर स्थित पक्का कुआ जिसका घेरा नो फुट मय आसारों के सीमेण्ट एवं कंकरीट का लोहे के साथ बंधा हुआ आसार की कोटाई 9 इन्च व कोठि की नाल 110 फुट तथा इसके पश्चात बोरिंग 250 फीट 6 इन्च का मय बिजली फिटिंग 7.5 अश्व शक्ति व पम्प सेट आदि का मुआवजा मुताबिक तखमीना बी.एस.आर एवं वाटर रिसोर्स कारपोरेशन 1,75,000/-

3. भूमि पर स्थित कमरा आवासीय 150 वर्ग गज क्षेत्रफल 10,000/-

4. भूमि पर स्थित होज व होदिया अण्डर गाउण्ड पाईप लाईनस आदि 40,000/-

5. भूमि पर स्थित चारों ओर डोला 2800 फुट पाच फुट ऊचा व चार फुट पेडन पर स्थित कीकू पन्द्रह सो 25,000/-

6. भूमि पर स्थित पेड व पोधों :-

{ए} सफेदा उम्र 6 वर्ष ऊचाई 20 फु औसतन नग 7500 जिनकी प्रथम कटाई सम्भाव है प्रति वृक्ष नेट वेल्यू 200 /- रुपये से 15,00,000/-

{बी} आवला 350 उम्र 5 वर्ष से अधिक प्रति वृक्ष नेट वेल्यू 300/- रुपये से केपीटलाईज वेल्यू 500/- रु0 प्रति वृक्ष होती हैं। इस प्रकार प्रति वृक्ष कम से कम 100 रुपये की दर से 75,000/-

{सी} सेतवा 1000 वृक्ष उम्र 6 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय प्रति वर्ष 50/- रु0 से 40,000/-

{डी} सुबाबुल नग 1000 जिन्हें नेशनल एग्रीकलचरल एण्ड साईटिफिक रिसर्च फाउडेशन की तकनीकी राये से उम्र चार से पांच वर्ष प्रति वृक्ष 150 /- रुपये से 1,50,000/-

{ई} जाजोबा 500 वृक्ष प्रति वृक्ष 50 /- रु0 की दर से जो नेशनल ए.एस.आर. फाउडेशन की राय पर 25,000/-

[एफ] माल्टा 100 वृक्ष उम्र चार से पाँच वर्ष नेट आय प्रति वृक्ष 100/- रुपये से कैपी टलाइज वेल्यू दस वर्षों के हिसाब से प्रति वृक्ष 100/- रुपये 1,00,000/-

[जी] आम 50 वृक्ष उम्र पाँच वर्ष नेट आय अनुमानित 100/- रुपये से प्रति वृक्ष से कैपीटलाईज़ वेल्यू 1000/- रु0 की दर से 50,000/-

[एच] अमरूद 600 वृक्ष उम्र 6 से 7 वर्ष प्रति वृक्ष 100/- रु0 से कैपीटलाईज वेल्यू 8 वर्षों की दर से 800/- की दर से 4.80.000/-

[आई] नीबू 100 वृक्ष उम्र लगभग 6 से 7 वर्ष प्रति वृक्ष नेट आय 80/- रु0 से कैपीटलाईज वेल्यू 10 वर्षों की दर से 800/- रु0 की दर से 80,000/-

[जे] गुलाब के पौधों प्रति वृक्ष उम्र 4 से 5 वर्ष संख्या 5000 प्रति वृक्ष पौधा कीमत 10/- रु0 की दर से 50,000/-

[के] शीशम व कीकर वृक्ष 400 प्रति वृक्ष से लम पातडों की आय 100/- औसतन 50 से 60 मन जलाऊ लकड़ी प्रति वृक्ष 2 फसलों में पत्तों की बिक्री से नेट आय 100/- रु0 से 10 वर्षों की कैपीटलाईज वेल्यू 1000/- रु0 विशेषकर इस पेड़ की लकड़ी खिलौने हीरा घिसाई के पत्र, जूतों के सोल आदि की उपयोग की हैं। 40,000/-

कुल योग :- 2,21,59000/-

[अठारे दो करोड़ इक्कीस लाख उनसठ हजार रुपये मात्र]

उक्त राशि पर दिनांक 7-7-1980 से अवार्ड दिवस तक 12.% की दर से अतिरिक्त मुआवजा अन्तर्गत धारा 23[1] कैपीटल "ए", उक्त मुआवजा राशि 30.% की दर से अनिवार्य अवाप्ति चार्ज अन्तर्गत धारा 23[2] एवं अवार्ड के दिवस से प्रथम एक वर्ष की अवधि पर 9% प्रतिशत की दर से ब्याज व इसके पश्चात अदायगी के दिवस तक 15.% की दर से ब्याज धारा 34 [चौंतीस] के अन्तर्गत दिलाये जाने की मांग की हैं।

1. क्लेम के साथ नोटेरीयल सर्टिफिकेट दुगा भाटी एवं भजवत टी कम्पनी की ओर से पेश किये गये हैं। (गिल्ली धारी)

2. भजवत टी ऐस्टेट तकमीना रामनारायण रिटायर्ड इन्जिनियर द्वारा बनाया गया की फोटोस्टेट प्रति

3. गिल्ली धारा टी कम्पनी लि0 की ओर से तकमीना रिटायर्ड इन्जिनियर द्वारा बनाया गया की फोटोस्टेट प्रति

6. उपर्युक्त सभी खातेदारान / हितधारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की प्रति प्राधिकरण अभिभाषक को दी गई। प्राधिकरण अभिभाषक श्री केपी0 मिश्रा ने लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये और मौखिक रूप से कहा कि खातेदारान / हितधारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम में आपत्तियाँ अंकित की हैं। आपत्तियाँ धारा 5 ए की सुनवाई के समय प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अब ये आपत्तियाँ खारिज करने योग्य हैं।

241

तथा खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम की ताईद में कोई ठोस दस्तावेजात व प्रमाण-पत्र पेश नहीं किये और नाही विक्रय पत्र बाजार दर के लिये पेश किये गये है और अतिरिक्त स्ट्रेक्चर्स के बाबत रामनारायण रिटायर्ड रजिस्टर्ड वेल्यू दर से प्रमाणित फोटेस्टेट प्रति पेश की है। जो मूल स्ट्रेक्चर्स की प्रति पेश नहीं की है, जो स्वीकार योग्य नही हैं तथा पेड़-पौधों के क्लेम के सबूत में खातेदारान/हितदारान द्वारा रजिस्टर्ड वेल्युवर उद्यान द्वारा प्रमाणित तखमीना पेश नहीं किया गया तथा प्राधिकरण अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्राधिकरण से स्टेक्चर्स एवं पेड़-पौधा के प्राप्त तखमीना प्राप्त होने पर ही स्ट्रेक्चर्स का मुआवजा राशि का निर्धारण करना सम्भव होगा। प्राधिकरण अभिभाषक के उक्त कथन से हम सहमत हैं। अतः खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है जो निराधार है। अतः क्लेम के अनुसार भूमि, स्टेक्चर्स एवं पेड़-पौधों का मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है।

मुकदमा नम्बर 361/88 खसरा नम्बर 98, 98/128, 98/129/1, 98/129/2, 98/129/3

धारा 6 के राजस्थान राज पत्र में ग्राम किशनावाला तहसील जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 98 लल्लूराम पुत्र भूरा हिस्सा 1/2 कानाराम पुत्र भागवराम, रमेश, 16 वर्ष बाबूलाल 4 साल नाबालिंग सरंक्षक माता रामप्यारी बेवा मंगलराम जाट साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज हैं।

इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 98/128, 98/129/2 ग्न्दा पुत्र बिरदा जाति जाट साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज हैं।

भूमि खसरा नम्बर 98/129/1 महकमा पी डब्ल्यू डी के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। एवं भूमि खसरा नम्बर 98/129/3 दिनेश बगडिया पुत्र बनवारी लाल बगडिया सा0 गोविन्द निकेतन न0 डी 20 अशोक मार्ग "सी" स्कीम जयपुर के नाम खातेदारी में दर्ज हैं।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत उपरोक्त सभी खातेदारान को नोटिस दिनांक 11/2/90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान व्दारा नोटिस लेने से मना करने पर दो गवाहों के समक्ष चस्पांदगी व्दारा नोटिस तामिल कराये गये। महकमा पी0डब्ल्यू0डी0 को नोटिस तामिल कराया गया। इसके उपरान्त भी खातेदारान/हितदारान के उपस्थित नही होने पर पुनः दिनांक 25-3-91 को धारा 9 व 10 के नोटिस जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हल्फिया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के वयस्क सदस्य को नोटिस तामिल कराये गये। इसके उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर रजिस्टर्ड ए0 डी0 व्दारा नोटिस धारा 9 व 10 के जारी किये गये। डाक घर की रिपोर्ट नोटिस लेने से इन्कार के साथ वापिस प्राप्त हुए। इसके उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर दिनांक 11-6-91 को धारा 9 व 10 के नोटिसेज खातेदारान/हितदारान/आपत्तिकर्ताओं के नाम से

दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स में समाचार-पत्रों में प्रकाशन कराये गये । दिनांक 12.6.91 को खातेदार नल्लूराम उपस्थित हुये और क्लेम पेश किया तथा अन्य खातेदारान चंदा पुत्र बिरधा, दिपेका बगड़िया पुत्र बनवारी लाल बगड़िया, कानाराम पुत्र भगवराम, रोशन 16 वर्ष, बाबूलाल 4 साल नाबालिग संरक्षक माता रामप्यारी बेवा मंगलराम जाट व महकमा पी.डब्ल्यू.डी. के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। नल्लूराम पुत्र पूरा की ओर से आपत्ति एवं क्लेम पेश किया क्लेम में भूमि की कीमत 5, 6 लाख रुपये प्रति बीघा की मांग की है । खसरा नम्बर 98/129/1 महकमा पी.डब्ल्यू.डी. का मुआवजा निर्धारण बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./नाव/91/2933 दिनांक 18.5.91 द्वारा नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर से यह मार्ग दर्शन चाहा गया था कि पृथ्वीराज नगर योजना के धारा-6 के गजट नोटिफिकेशन जो दिनांक 31 जुलाई 89 को प्रकाशित हुआ है जिसमें कुछ खसरा नम्बरान ऐसे हैं जो पी.डब्ल्यू.डी. डिफेन्स एवं अन्य सरकारी विभागों के नाम से अंकित है जिनके सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाय अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के उप-शासन सचिव, ने अपने पत्र क्रमांक प-6 (15) नविआ/87/दिनांक 5 जून, 1991 के द्वारा यह निर्देश दिये कि सरकारी विभागों को भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत नोटिस देना चाहिये और सम्बन्धित विभागों द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात यदि भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में राज्य सरकार संतुष्ट हो तो राज्य सरकार भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के सम्बन्ध में विचार कर सकती है । इस मुकदमें में क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग का नाम धारा-6 के गजट नोटिफिकेशन में अंकित था इसलिये धारा 9 व 10 के नोटिस जरिये तामिल कुनिन्दा के दिनांक 11.2.90 व 3.91 को करवाये गये । उसके उपरान्त पी.डब्ल्यू. विभाग द्वारा कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर से प्राप्त निर्देशों के सम्बन्ध में पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के नाम से धारा-6 के राजस्थान राजपत्र में दर्ज खसरा नम्बर 98/129/1 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि का अवार्ड पारित करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बनता। अतः पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को हितधारी मान-कर अवार्ड नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही करते हुये पारित किया जाता है।

आपत्तिकर्ता सुरेन्द्र सिंह, रामकुमार, श्रीमती इंदु चौधरी पत्नी पी.एम. चौधरी, सुतनसिंह पत्नि सर्वश्याम, सुरेन्द्रपाल पुत्र मूलचंद, जगवीर सिंह पुत्र अचलसिंह, सुखवीर सिंह पुत्र, अचल सिंह पुत्र स्व. देशराज, सुमेर सिंह पुत्र देशराज सिंह के नाम से नवभारत टाइम्स व दैनिक नवज्योति समाचार-पत्र में धारा 9 व 10 के नोटिसेज का प्रकाशन कराया गया लेकिन आपत्तिकर्ताओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुये और ना ही कोई क्लेम पेश किया । अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

11. इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित किसी भी भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया ।

12. विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं । उनमें कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण का तरीका धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समयकाल रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारण माना गया है । पृथ्वीराज नगर योजना में धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 को हुआ था इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिप्रेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहां पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों के रजिस्ट्रेशन का क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता । जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । खातेदारान/हितदारान की ओर से जो क्लेम पेश कियागया है। लेकिन बाजार दर के लिये विक्रय पत्र एवं क्लेम में कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये गये । अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है ।

13. जहां तक उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदारान/हितदारान के मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । मुकदमा नम्बर 352/88 के खातेदार श्री अमनचंद पुत्र ईशानचंद कौम बंगाली ब्राह्मण के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदार/हितदारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदार/हितदार की ओर से मुआवजा राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता है तथा रंगामाटी टी. कम्पनी मध्यत टी एस्टेट लिमिटेड , गिल्लीधारी टी. कम्पनी लिमिटेड द्वारा खातेदारान/हितदारान द्वारा क्लेम पेश किया गया है लेकिन बाजार दर के लिये कोई विक्रय - पत्र एवं क्लेम के सबूत में कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये गये हैं जिसे लिए क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है। मुकदमा नम्बर 361/88 के खातेदारान/हितदारान के मुआवजे का निर्धारण का प्रश्न है चंदा पुत्र बिरधा , दिपदेश बगड़िया पुत्र बनवारी लाल बगड़िया मध्यस्थ पी.डब्ल्यू.डी. कानाराम, पुत्र भगवराम , रमेश, बाबूलाल, नाबालिग संरक्षक माता रामप्यारी देवा मंगलराम जाट सा. देह के खातेदारान/हितदारान के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओरसे से मुआवजा राशि की मांग का कोई प्रश्न नहीं उठता तथा लल्लू पुत्र भूरा जाट द्वारा प्रस्तुत क्लेम की पुष्टि में बाजार दर के लिये कोई विक्रय पत्र एवं ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किये अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है ।

-----11/पर-----

8. उक्त क्लेम की प्रति प्राधिकरण अभिभाषक को दी गई। प्राधिकरण अभिभाषक श्री के. पी. मिश्रा ने लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और मौखिक रूप से कहा कि खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम में आपत्तियां अंकित की हैं, आपत्तियां धारा- 5ए के समय प्रस्तुत करनी चाहिये थीं अब ये आपत्तियां खारिज करने योग्य हैं तथा खातेदार / हितदार द्वारा क्लेम की ताईद में कोई ठोस दस्तावेजात व प्रमाण- पत्र पेश नहीं किये और ना ही कोई विक्रय पत्र बाजाब्ता बाजार दर के लिये पेश किये हैं । अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना स्वीकार नहीं है। प्राधिकरण के अभिभाषक के उक्त कथन से हम सहमत हैं । अतः खातेदारान/हितदारान द्वारा प्रस्तुत क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है जो निराधार है। अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्याय संगत नहीं है । तथा अन्यखातेदारान/हितदारान ने क्लेम पेश नहीं किया इसलिये उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही के आदेश अमल में लाये गये ।

9. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा - 9 (1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमें में भी सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक3.5. 91 को तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड , व ग्राम पंचायत व सरंपच को दिये गये व चस्पा कराये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-

10. जहां तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है । नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-6 (15) नविआ/87 दिनांक 1.1.89 द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था । लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसीभी ग्राम के मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया ।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 353-355 दिनांक 11.2.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग , जयपुर ,जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, एवं सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराली जाय । इसके उपरान्त समय - समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण करने के लिये निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

14. लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिये भूमि अवाप्ति की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, ने अपने पत्र क्रमांक टी.डी.आर/91/336 दिनांक 3.6.91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम बिशनावाला तहसील जयपुर, में 20,000/- रूपये प्रति बीघा के अनुसार भूमि का पंजीयन हुआ था। इसलिए जहां तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित है ।

15. हमने इस सम्बन्ध में उप-पंजीयक एवं तहसीलदार, तहसील जयपुर, के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय भी भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण-1 ने भी अपने यू.ओ. नोट दिनांक 8.5.91 द्वारा तहसील जयपुर में धारा-4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है ।

16. लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये है जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री. के.पी. मिश्रा ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

17. अतः हम इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते हैं एवं यह भी मानते हैं कि [illegible] धारा-4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

18. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितधारान द्वारा जो क्लेम पेश किये हैं उनकी पुष्टि में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं । अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

19. जहां तक पेड़-पौधों, सड़कें, कुए एवं भूमि पर बने मकानात एवं अन्य स्ट्रक्चर्स का मुआवजा का प्रश्न है। खातेदारान/हितधारान द्वारा कोई तकमीनाजे पेश नहीं किया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीना पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर्स यदि कोई हो तो उनके मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी एवं अनुमोदित तकमीना प्राप्त होने पर विचार करके नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जायेगा ।

----12/पर----

20. इस सम्बन्ध में भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रूपये प्रति बीघा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज पेश करने पर ही किया जावेगा। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है, में निर्धारित किया जा रहा है।

21. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23 (1-ए) एवं 23 (2) के अन्तर्गत मुआवजे की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी। जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

22. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगरसंकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन सीलिंग अधिनियम/1976 से प्रभावित है, लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि सीलिंग अधिनियम की धारा 10 (3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 24.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः- परिशिष्ट "ए"
गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण -भवन)

राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ.6(15)न.वि.वा./87 दिनांक 3/7/91 के द्वारा यह कार्य अनुमोदन होकर प्राप्त हो गया। याचिका नम्बर 3652/91 के द्वारा खसरा नम्बर 98/128, 98/129/2, तथा याचिका नम्बर 3393/91 के द्वारा खसरा नम्बर 98 पर अवाप्ति व कब्जा न लेने बाबत स्थगन होने से अवाप्ति घोषित नहीं किया जा रहा है। शेष खसरा नम्बर 53, 93/1, 93/2/2, 94, 92/2, 93/2/3, 93/2/1, 93/3, 94, 98/129/1, 98/129/3 को अवाप्ति आज दिनांक 3/7/91 को गैर इजलास घोषित किया गया एवं पत्रिका में शामिल किया गया। रजिस्ट्रार व सचिव ज.वि.प्रा. को अवाप्ति की एक एक प्रति भेजी जावे व खातेदारान को धारा 18(2) के तहत नोटिस जारी हो।

248

:. परिशिष्ठ " ए" गणना तालिका ग्राम – विशनावाला :.

	मुकदमा नं.	नाम खातेदार/हितदार	खसरा नं.	रकबा बी. बि.	मुआवजा दर	मुआवजा राशि	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल योग
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	352/88	मैसर्स मजत टी एस्टेट लि. 23/24 राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता	53	19-06	24,000/-	4,63,200/-	1,38,960/-	1,64,861/-	7,67,021/-
2. (1)	"	मैसर्स रंगामाटी टी. एण्ड इंडस्ट्रीज ली 23/24 राधा बाजार कलकत्ता-7	93/1 93/2/2 94	12-04 14-06 26-10	24,000/-	6,36,000/-	1,90,800/-	2,26,363/-	10,53,163/-
(3)	"	अरुन चन्द्र पु. ईशानचंद मुकर्जी कौम बंगाली ब्राह्मण ता. देह जयपुर।	92/2 93/2/3 93/2/1	13-02 03-00 16-02	24,000/-	3,86,400/-	1,15,920/-	1,37,527/-	6,39,847/-
(4)	"	मैसर्स गिल्लीधारी टी कम्पनी लि. 23/44 राधा बाजार स्ट्रीट कलकत्ता -7	93/3 94	24-08	24,000/-	5,85,600/-	1,75,680/-	2,08,425/-	9,69,705/-
2.	361/88	लालूराम पि. भूरा 1/2 जाबाराम पु. मनाराम, रमेश 16 वर्ष, बाबूलाल, 4 साल नाबालिक संरक्षक माता रामप्यारी बेवा मंगलराम जाट सा. देह	98	24-13	24,000/-	5,91,600/-	1,77,480/-	2,10,560/-	9,79,640/-
(1)	"	नहर्की पी. डब्ल्यू. डी.	98/129/1	05-01	24,000/-	1,21,200/-	36,360/-	43,137/-	2,00,697/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नहर विभाग योजनायें
जयपुर

क्रमशः ——2/पर——

	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	•	चंदा पुत्र बिरधा जाति जाट सा. देह	98/128 98/129/2	13-13 00-10 14-03	24,000/-	3,39,600/-	1,01,880/-	1,20,869/-	5,62,349/-
(4)	"	हिपदेश बगडिया पु. बनवारी लाल बगडिया सा. गोविन्द्र निकेतन नं. डी. 120 अशोक-मार्ग, "सी" स्कीम, जयपुर।	98/129/3	01-10	24,000/-	36,000/-	10,800/-	12,813/-	59,613/-

नोटः. (1) 30 प्रतिशत सोलेशियम कालम नम्बर 8 पर मुआवजा राशि पर दिया गया है ।

(2) अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा -4 (1) का गजट दिनांक 7.7.88 से दिनांक 24.6.91 तक की गई है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible]
जयपुर